बिहार सरकार

कृषि विभाग

सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना

चिन्हित प्रखण्डों में कम वर्षापात से प्रभावित फसलों के नुकसान हेतु अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में

वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत खरीफ फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए प्रभावित चिन्हित प्रखण्डों के किसानों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के लिए निर्धारित सहाय्य डी०बी०टी० के माध्यम से सरकार द्वारा फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

1. योजना का लाभ :

1.1 चिन्हित प्रखण्डों के किसानों के लिए इस योजना का लाभ खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप अनुदान दिया जायेगा।

1.2 यह अनुदान वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए किसानों को 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकत्तम 2 हेक्टेयर के लिए देय होगा। फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपया अनुदान देय है।

1.3 इस योजना का लाभ कृषि विभाग के ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2. अनुदेश :

2.1 वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है। वे सीधे "सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना" https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

2.2 सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना अन्तर्गत अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में हीं अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ने के साथ एन०पी०सी०आई०(NPCI) से मैप्ड(Mapped) नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। NPCI के पोर्टल पर मैपिंग(Mapping) का कार्य सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा किया जाना है।

3. ऑनलाईन पंजीकरण की विधि :

3.1 वैसे किसान, जिनका मोबाईल संख्या आधार से जुड़ा हो, वे घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाईन पंजीकरण कर, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा किसान, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/सहज/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन से भी सम्पर्क कर निःशुल्क ऑनलाईन पंजीकरण कराने के साथ–साथ इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3.2 वैसे किसान, जो dbtagriculture.bihar.gov.in पर पूर्व से पंजीकृत हैं, उन्हें फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। वैसे किसान, जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, वे ऑनलाईन पंजीकरण के लिए

dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध **"पंजीकरण"** मेनू पर क्लिक कर **"पंजीकरण करें"** मेनू का चयन करेंगे।

3.3 ऑनलाईन पंजीकरण अथवा आवेदन करने के लिए किसान के पास अपना मोबाईल नम्बर, आधार संख्या और **आधार से जुड़े बैंक खाता का होना अनिवार्य है।** पंजीकरण के समय किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का विवरण (थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा आदि) लाना अनिवार्य होगा।

3.4 कॉमन सर्विस केंद्र/सहज/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन के ऑपरेटर, आधार कार्ड में अंकित जानकारी के अनुसार ही आवेदन में किसान का नाम और किसान के पिता/पति का नाम भरेंगे।

3.5 किसान से आधार संख्या के उपलब्धता की जानकारी हाँ/नहीं में ली जाएगी। आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेबसाइट, किसान को उनके नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराएगी। आधार संख्या के उपलब्धता की स्थिति में किसान को अपना आधार संख्या अंकित करना होगा।

3.6 किसान का आधार सत्यापन तीन तरीके से किया जाएगा। वैसे किसान, जो घर से स्वयं पंजीकरण कर रहे हैं, उनका सत्यापन ओ०टी०पी० के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए किसान को 12 अंकों का आधार संख्या की प्रविष्टि करनी होगी। सहज/कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा पंजीकरण कराने की स्थिति में सत्यापन बायोमेट्रिक अथवा आई०आर०आई०एस० डिवाईस के माध्यम से किया जाएगा।

3.7 सत्यापन सही होने की स्थिति में पंजीकरण के लिए प्रदर्शित अनिवार्य वांछित प्रविष्टियों में किसान की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड में अंकित किसान का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, कृषक श्रेणी (वृहत/लघु/अन्य में से कोई एक), जाति प्रकार (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक में से कोई एक), जिला/प्रखंड/पंचायत/गाँव का नाम, अपना मोबाईल संख्या और बैंक विवरणी (बैंक/शाखा का नाम और आई०एफ०एस०सी० कोड) प्रविष्ट करेंगे। ध्यान रहे कि बैंक विवरणी आधार से जुड़ा हो अन्यथा अनुदान की राशि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी।

3.8 अनिवार्य जानकारी प्रविष्टि करने के उपरांत किसान **सबमिट बटन** पर क्लिक करेंगे। **सबमिट बटन** क्लिक करते ही किसान के मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से ओ०टी०पी० भेजा जाएगा, जिसे किसान अपने पंजीकरण आवेदन में प्रविष्ट कर **रजिस्टर बटन** पर क्लिक करेंगे।

3.9 ओ०टी०पी० सही होने की स्थिति में किसान के मोबाईल पर पंजीकरण सक्सेस के साथ 13 अंकों की पंजीकरण संख्या एस०एम०एस० के माध्यम से भेजा जाएगा।

4. ऑनलाईन आवेदन की विधि :

4.1 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **''सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना"** मेनू पर क्लिक करेंगे।

4.2 **सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना** अन्तर्गत अनुदान के आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **''डिस्प्ले"** किया जाएगा।

4.3 किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/सहज/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन से ऑनलाईन **सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना** अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4.4 **सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना** अनुदान आवेदन के लिए सर्वप्रथम किसान कुल जमीन की प्रविष्टि करेंगे। यह योजना चिन्हित प्रखण्डों के किसानों को अधिकत्तम 2 हेक्टेयर के लिए मान्य होगा।

4.5 किसान को तीन श्रेणियों (स्वयं, वास्तविक खेतिहर, स्वयं + वास्तविक खेतिहर) में बाँटा गया है। किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। एक खेत के लिए एक हीं व्यक्ति को अनुदान की राशि देय है, चाहे जमीन का मालिक हो या खेतिहर। इसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित कृषि समन्वयक द्वारा दिया जायेगा, कि उनके द्वारा जाँच कर लिया गया है।

4.5.1 "स्वयं" की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सुखाड़ से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के किसानों के दो नाम प्रविष्ट करेंगे।

4.5.2 "वास्तविक खेतिहर" किसान थाना नंबर, खेसरा नंबर, कुल सुखाड़ से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज अपलोड करेंगे।

4.5.3 ''स्वयं + वास्तविक खेतिहर'' किसान को "स्वयं" के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सुखाड़ से प्रभावित रकवा, अगल–बगल के किसानों के दो नाम और वास्तविक खेतिहर के लिए खेसरा नंबर, सुखाड़ से प्रभावित रकवा, अगल–बगल के किसानों के दो नाम और साथ–ही–साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज अपलोड करना होगा।

4.6 किसान द्वारा दिये गए कुल प्रभावित रकवा के अनुसार ही कुल अनुदान की राशि का निर्धारण होगा, जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।

4.7 अनिवार्य जानकारी की प्रविष्टि करने के उपरांत किसान आवेदन में नीचे दिये गए शपथ–पत्र का चयन करेंगे और **''नेक्स्ट बटन''** पर क्लिक करेंगे। किसान के सामने एक नया जाँच पेज खुलेगा। यदि किसान ने अनिवार्य दस्तावेज अपलोड किया है तो जाँच पेज पर उपलब्ध बटन हरे रंग में दिखाई देगा और किसान जाँच की पुष्टि कर **"अंतिम सबमिट"** बटन पर क्लिक करेंगे अन्यथा जाँच बटन काले रंग में दिखाई देगा, जो यह संकेत देगा कि अनिवार्य दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है और आवेदन पूर्ण नहीं है। **"अंतिम सबमिट बटन"** पर क्लिक करते ही किसान को एस०एम०एस० के माध्यम से मोबाईल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और आवेदन स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन के लिए ऑनलाईन भेज दिया जाएगा।

4.8 **कुल रकवा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे (1 एकड़ = 100 डिसमिल तथा 1 हेक्टेयर = 247 डिसमिल) ।**

4.9 किसान **https://dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **"आवेदन प्रिन्ट करें"** का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

4.10 किसान कभी भी वेबसाईट पर जाकर जमा किये गये आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

4.11 आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम दी जाएगी।

5. आवेदन की स्वीकृत करने की प्रक्रिया :

5.1 जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, आवेदन करने के अंतिम तिथि के बाद आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जायेगा। कृषि समन्वयक 20 दिनों के अंदर आवेदन में दर्ज दावा की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या सुधार कर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। कृषि समन्वयक सूखा प्रभावित प्लॉट(सर्वे नम्बर) में किसान को खड़ा कर फोटो लेंगे तथा जाँचोपरान्त उसे अपलोड करेंगे। निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँच कर प्रतिवेदन देंगे :–

5.1.1 भूमि से संबंधित कागजात(रैयत के मामले में)।

5.1.2 यह संतुष्ट हो लें कि भूमि के मालिक या वास्तविक खेतिहर दोनों में से किसी एक ने हीं आवेदन किया है। गैर रैयत के मामले में बगल के दो किसानों का प्रमाण पत्र ले लें।

5.1.3 दावा की गई जमीन पर वास्तव में फसल लगी थी या नहीं, यह स्थानीय जाँच से संतुष्ट हो लें। निम्नलिखित प्रखंडों में अत्यंत अल्प वर्षापात के कारण फसल की बोआई नहीं हो पाई थी। इन प्रखंडों में सभी कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा :–

1. प्रखंड मोदनगंज, जिला जहानाबाद।
2. प्रखंड पकड़ीबरावां एवं काशीचक, जिला नवादा।
3. प्रखंड अलीगंज, जिला जमुई।

5.1.4 स्थल पर आवेदक के साथ छायाचित्र।

5.2 कृषि समन्वयकों द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसा की सूचना भी एस०एम०एस० के माध्यम से किसानों को दी जायेगी।

5.3 अगर कृषि समन्वयकों द्वारा 20 दिनों के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

5.4 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित सभी आवेदनों की जाँच 5 दिनों के अंदर कर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करने की अनुशंसा अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी, द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को करेंगे। अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य अपने स्तर से आवश्यक जाँचोपरान्त स्वीकृत आवेदन को भुगतान हेतु राज्य स्तर पर भेजेंगे।

5.5 अगर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 5 दिनों के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

5.6 अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना किसान को उनके मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी।

5.7 अगर अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के द्वारा 5 दिनों के अंदर आवेदन राज्य सरकार को अग्रसारित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और स्वतः आवेदन स्वीकृत होते हुए भुगतान हेतु कृषि विभाग को अग्रसारित हो जायेगा।

5.8 चिन्हित प्रखंडों के पंचायत में कैम्प लगाकर प्राप्त आवेदनों एवं अन्य सम्बन्धित कागजातों की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त किसानों के खाते में राशि का अंतरण किये जाने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

5.9 किसानों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है, तो किसानों का अनुदान भुगतान हेतु आवेदन सीधे अग्रसारित होने की स्थिति में संबंधित कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

5.10 ऐसे सभी असत्यापित आवेदन पत्रों की जाँच भुगतान के उपरान्त निश्चित रूप से 15 दिनों के अंदर करा ली जायेगी तथा जाँच के क्रम में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो संबंधित कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के विरूद्ध कठोर कार्रवाई एवं उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

5.11 त्रुटिपूर्ण भुगतान, दोहरा भुगतान के मामले पाए जाने पर इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

5.12 बैंक को आवेदन भेजने के अगले दिन भुगतेय राशि किसान के खाते में अन्तरित हो जायेगी, जिसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसान को दी जायेगी।

5.13 जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से समय–समय पर किसानों को ऑन–लाईन पंजीकरण एवं आवेदन समर्पित करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करेंगे।

6. अनुश्रवण :

6.1 योजना के अनुश्रवण के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी की होगी जो साप्ताहिक लम्बित आवेदनों की जाँच एवं योजना की समीक्षा करेंगे।

6.2 आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर गठित की गई अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी की अनुदान योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी।

6.3 जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की बैठक यथासम्भव प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जाएगी।

6.3.1 संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 7% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.2 प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.3 संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.4 संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.5 संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.6 संबंधित जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

6.3.7 संबंधित संयुक्त निदेशक(शष्य) परिक्षेत्र द्वारा प्रत्येक जिले का 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

चिन्हित प्रखण्डों के किसान भाईयों/बहनों से अनुरोध है कि सरकार की इस महत्त्वकाँक्षी योजना का लाभ उठायें